न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-235RAAJodhpur2021-119RTA225 Chunaram Vs Baburam etc

चूनाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम बुचकला, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बाबूराम पुत्र ढगलाराम
2. हवली पत्नी ढगलाराम
   दोनो जातियान् मेघवाल, निवासीगण– बुचकला, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
3. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 31 मार्च 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 318/2020 बाबूराम व अन्य बनाम चूनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 2
रेस्पोडेंट संख्या एक व दो एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 25 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 318/2020 बाबूराम व अन्य बनाम चूनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 242 रकबा 2.5241 हैक्टेयर ग्राम बुंचकला में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 243 में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए,बी,सी,डी 25 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मार्च 2021 के जरिये रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में जिस स्थान पर रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने रास्ते के लिए आवेदन किया था, उक्त स्थान पर जब अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट को रास्ता दिया जाना उचित नहीं समझा तो ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करना चाहिए था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर चाहे गये स्थान से परे जाकर अपीलाधीन रास्ता प्रदान कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो से मिलीभगती कर तैयार की गई है जो एकपक्षीय होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को रास्ते के मामले में जबरन राशि जमा करवाने का आदेश देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि के स्थान पर भूमि के बदले भूमि का आदेश दिया जाना चाहिए था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है जो आदेश अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 19.04.2021 से 07.06.2021 की अवधि में विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू होने से अपीलांट अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका। इस कारण अपीलांट को अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मार्च 2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते राष्ट्रीय स्तर पर लागू लॉकडाउन के कारण अपीलांट अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका। माननीय राजस्व उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अवधि की म्याद सीमा को कंडोन किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 242 में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नं. 243 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 15.12.2020 में रास्ते के दो विकल्प बताये गये है, जिसमें चाहे गये रास्ते मार्क सी से डी की लंबाई 71 मीटर तथा अपीलाधीन रास्ते मार्क ए से बी की लंबाई 55 मीटर है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब उक्त मौका फर्द अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है, जिस पर अपीलांट चुनाराम के हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु अन्य कोई लघतुम एवं वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होना नहीं बताया गया है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में तलब मौका फर्द के आधार रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मार्च 2021 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर